(3)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 19/2017

मथुरा प्रसाद यादव - बनाम - दुःखी महतो वगैरह

धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

13.5.17

अभिलेख उपस्थापित। स्थानीय पुलिस गावां थाना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जमीन विवाद से सम्बन्धित मामला में उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर न्यायालय में बहस सुनकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं० प्र० सं० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है:- मौजा- महेशपुर, खाता नं० 19 प्लॉट नं० 15 रकबा 02 डि० चौहदी:- उ०-दुःखी महतो, द०- रास्ता, पु०- परमेश्वर महतो तथा प०- सुकर महतो

उक्त भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष के ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है।

अभिलेख का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष के ओर से कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि भूमि दखल के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 13/5/17
अनु० दण्डा०

(हस्ताक्षर) 13/5/17
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner